



"स्टेट हेल्थ एजेन्सी-आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना"

चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

email - uprsby@yahoo.co.in



SACHIS

पत्रांक : ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431 / 2024-25 / लखनऊ, दिनांक अगस्त, 2024

1578

28

योजनान्तर्गत समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय- योजनान्तर्गत पात्र परिवारों में ऐसे शिशु जिनकी आयु 5 वर्ष तक है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, को योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से योजनान्तर्गत सम्मिलित पात्र लाभार्थियों को रुपये 05 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में निःशुल्क चिकित्सा लाभ देश भर में योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है।

योजनान्तर्गत पात्र परिवारों में ऐसे शिशु जिनकी आयु 5 वर्ष तक है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, ऐसे शिशुओं को योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध चिकित्सालयों में संचालित TMS सॉफ्टवेयर में प्राविधान है कि माता एवं पिता के पास उपलब्ध आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।

सूचीबद्ध चिकित्सालयों में संचालित TMS सॉफ्टवेयर के मरीज रजिस्ट्रेशन पृष्ठ पर शिशु के माता या पिता के पास उपलब्ध आयुष्मान कार्ड में अंकित PMJAY ID अंकित कर Child below 5 years (radio button) का विकल्प चयन करने के उपरान्त अगले पृष्ठ पर शिशु से सम्बन्धित निम्न लिखित सूचना अंकित करनी होगी और पृष्ठ के अन्त में Verify and Register बटन क्लिक करना होगा:-

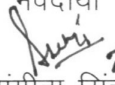
- 1- Relationship with beneficiary.
- 2- Date of Birth.
- 3- Name of Child
- 4- Gender of Child
- 5- Father Name
- 6- Mother Name
- 7- Child Photo
- 8- Birth certificate/Ration card

शिशु के माता या पिता, जिनके आयुष्मान कार्ड से शिशु को उपचार प्रदान किया जाना है, उनका Aadhar Authentication (Face Authentication or Fingerprint Authentication) अनिवार्य होगा, जिसके

उपरान्त चिकित्सालय में संचालित TMS सॉफ्टवेयर में शिशु का पंजीकरण करते हुए योजनान्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान किया जा सकता है।

उक्त प्रक्रिया से योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय भली-भाँति अवगत हैं, पर यदि किसी कारण आप इस व्यवस्था से अवगत नहीं थे, तो कृपया उक्त व्यवस्था का प्रयोग कर योजनान्तर्गत पात्र परिवारों में ऐसे शिशु जिनकी आयु 5 वर्ष तक है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, को उक्त व्यवस्था का प्रयोग कर योजनान्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उक्त व्यवस्था का Process Flow.

भवदीया

(संगीता सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431 / 2024-25 / तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित जनपद में सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों को अपने स्तर से उक्त प्रक्रिया से अवगत कराने का कष्ट करें।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को
4. योजनान्तर्गत चयनित समस्त आई0एस0ए0।


(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



"स्टेट हेल्थ एजेन्सी-आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना"
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
email - uprsby@yahoo.co.in



पत्रांक : ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431 / 2024-25 /

लखनऊ, दिनांक अगस्त, 2024

24

योजनान्तर्गत समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय- योजनान्तर्गत पात्र परिवारों में ऐसे शिशु जिनकी आयु 5 वर्ष तक है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, को योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से योजनान्तर्गत सम्मिलित पात्र लाभार्थियों को रुपये 05 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में निःशुल्क चिकित्सा लाभ देश भर में योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है।

योजनान्तर्गत पात्र परिवारों में ऐसे शिशु जिनकी आयु 5 वर्ष तक है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, ऐसे शिशुओं को योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध चिकित्सालयों में संचालित TMS सॉफ्टवेयर में प्राविधान है कि माता एवं पिता के पास उपलब्ध आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।

सूचीबद्ध चिकित्सालयों में संचालित TMS सॉफ्टवेयर के मरीज रजिस्ट्रेशन पृष्ठ पर शिशु के माता या पिता के पास उपलब्ध आयुष्मान कार्ड में अंकित PMJAY ID अंकित कर Child below 5 years (radio button) का विकल्प चयन करने के उपरान्त अगले पृष्ठ पर शिशु से सम्बन्धित निम्न लिखित सूचना अंकित करनी होगी और पृष्ठ के अन्त में Verify and Register बटन क्लिक करना होगा:-

- 1- Relationship with beneficiary.
- 2- Date of Birth.
- 3- Name of Child
- 4- Gender of Child
- 5- Father Name
- 6- Mother Name
- 7- Child Photo
- 8- Birth certificate/Ration card

शिशु के माता या पिता, जिनके आयुष्मान कार्ड से शिशु को उपचार प्रदान किया जाना है, उनका Aadhar Authentication (Face Authentication or Fingerprint Authentication) अनिवार्य होगा, जिसके

उपरान्त चिकित्सालय में संचालित TMS सॉफ्टवेयर में शिशु का पंजीकरण करते हुए योजनान्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान किया जा सकता है।

उक्त प्रक्रिया से योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय भली-भाँति अवगत हैं, पर यदि किसी कारण आप इस व्यवस्था से अवगत नहीं थे, तो कृपया उक्त व्यवस्था का प्रयोग कर योजनान्तर्गत पात्र परिवारों में ऐसे शिशु जिनकी आयु 5 वर्ष तक है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, को उक्त व्यवस्था का प्रयोग कर योजनान्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उक्त व्यवस्था का Process Flow.

भवदीया

(संगीता सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0-पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431 / 2024-25 / 15784 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित जनपद में सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों को अपने स्तर से उक्त प्रक्रिया से अवगत कराने का कष्ट करें।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को
4. योजनान्तर्गत चयनित समस्त आई0एस0ए0।

(संगीता सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Stem-1

Step -2

Step -3

[illegible]

Step -4

The screenshot displays the PMJAY - Transaction Management System interface. The left sidebar contains navigation options: Registration, PMJAY Registration, Telephonic Registered Patients, Dashboard, Preauthorization, Register on HIP Bridge, Cases Search, Payments, Claims, Unsuspected Cases, COVID Tests, Auto Cancelled Cases, and MIS. The main content area shows the registration details for a beneficiary named Rishu Devi. The details include: PMJAY ID (PMJCCNF5), ABHA Number (91477526164510), Name (Rishu Devi), Gender (Female), Mobile number, Year Of Birth (1960), and Age (44). The Child Details section shows: Relation with Beneficiary (Mother), Date of Birth (01-03-2024), Name of Child (Rishu), and Gender of Child (M). The Communication Address section shows: Address (Uttar Pradesh), State (UTTAR PRADESH), District (AURAYA), and Block (ULB). The Ayushman Card Address section is also visible. The bottom status bar shows the date and time as 8/23/2024, 4:10 PM.

Step -5

The screenshot displays the PMJAY - Transaction Management System interface. The left sidebar contains navigation options: Registration, PMJAY Registration, Telephonic Registered Patients, Dashboard, Preauthorization, Register on HIP Bridge, Cases Search, Payments, Claims, Unsuspected Cases, COVID Tests, Auto Cancelled Cases, and MIS. The main content area shows the authentication modes for a beneficiary. The Authentication Modes section includes: Face Authentication and Fingerprint Authentication. The Communication Address section shows: Address (Uttar Pradesh), State (UTTAR PRADESH), District (AURAYA), and Block (ULB). The bottom status bar shows the date and time as 8/23/2024, 4:11 PM.

Step -6

The screenshot displays the PMJAY - Transaction Management System interface. The top header includes the National Health Authority logo and the system name. The left sidebar contains navigation options: Registration, PMJAY Registration, Telephone-Registered Patients, Dashboard, and Production/Status. The main content area shows a form for registering a patient, with fields for Father's Name, Mother's Name, PMJAY ID, ABHA Number, Name, Gender, Mobile number, Year Of Birth, and Age. A confirmation message "Do you want to Register Patient?" is displayed at the top. A sidebar on the right shows a list of cases with columns for Case ID, Patient Name, and Status.

Step -7